रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1975/पौष 27, 1896
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1975/PAUSA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th January 1975

S.O. 38(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 35(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from that date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date of issue shall remain suspended for the said period;

And, whereas by the Order of the Central Government in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 43(E)/IDRA/74, dated the 17th January 1974, extended the duration of the said Order upto the 18th January, 1975;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto the 18th of January, 1976.

[No. F. 25/26/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1975

का० आ० 38 (अ) /18चख/आई डी आर ए /75.—यत : उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 35 (ई) 18चख/आई डी आर ए/ 73 तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) जिनका मेसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और जारी किए जाने की उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोदभूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 390 (ई)/आई डी आर ए/74 तारीख 17 जनवरी, 1974 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1975 तक बढ़ा दी थी ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1976 तक और बढ़ती है।

[सं० फा० 25/26/72–सी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975